पत्रांकः—भवन—12 / अभि0प्र0(यो0)—02—विविध—07 / 2022 4833(भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

पटना, दिनांकः— 02/6/26

विषयः— **प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 120 दिनों के अंदर निविदा निष्पादित करने के संबंध में।**

प्रसंगः— विभागीय ज्ञापांक—4719(भ) अनु०, दिनांक—27.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्रायः देखा गया है कि निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निविदा निष्पादन के क्रम में समय सीमा का पालन नंही किया जा रहा हे।

अतः दिनांक—05.05.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 120 दिनों के अंदर निविदा अनिवार्य रूप से निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

2/6/26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव।